

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 183]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 अप्रैल 2016—वैशाख 1, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्र. डी-15-18-2016-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्य भारत शासन, व्यापार तथा उद्योग विभाग अधिसूचना क्रमांक 2313-13 सी, दिनांक 24 जून 1955 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति खिलचीपुर के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मंडी प्रांगण घोषित करती है :—

स्थान

ग्राम पंचायत भूमरिया तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 2.000 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र:—

क्रमांक (1)	खसरा क्रमांक (2)	क्षेत्रफल (हेक्टर में) (3)
1	405/1/4	2.000
	कुल योग . .	2.000

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—शासकीय भूमि.  
दक्षिण में—आम रास्ता (शासकीय भूमि).  
पूर्व में—शासकीय भूमि.  
पश्चिम में—शासकीय भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय गुप्ता, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्र. डी-15-18-2016-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय गुप्ता, उपसचिव.

Bhopal, the 21<sup>st</sup> April 2016

No. D-15-18-2016-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare the following area's including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Khilchipur has been established by the Government of Madhya Bharat Commerce and Industries department's Notification No. 2313-13-C, dated 24th June, 1955 shall be sub market yard namely :—

## PLACE

An area of 2.000 hectare land of bellow mentioned Khasra number at Gram Panchayat Bhumariya in Tehsil Khilchipur of District Rajgarh :—

S. No. (1)	Khasra No. (2)	Area (In Hector) (3)
1	405/1/4	2.000
	Total . .	2.000

## BOUNDED BY

**On the North by**—Govt. Land.

**On the South by**—Public Way (Govt. Land).

**On the East by**—Govt. Land.

**On the West by**—Govt. Land.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
AJAY GUPTA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्र. डी-15-18-2016-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21 अप्रैल 2016 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी समिति खिलचीपुर जिला राजगढ़ के निम्नलिखित क्षेत्र को उप मंडी प्रांगण घोषित करती है:—

## क्षेत्र

- (1) ग्राम पंचायत, भूमरिया, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
- (2) उप प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र :—
- (1) भूमरिया, (2) हरीपुरा, (3) नयापुरा, (4) बामनिया खेड़ी, (5) रामपुरिया, (6) कोलूखेड़ा, (7) गोकुलपुरा, (8) खैरखेड़ी, (9) लक्ष्मणपुरा, (10) गोरधनपुरा, (11) गोरधन, (12) नारायणगंज, (13) अमरपुरा, (14) महुआखेड़ा, (15) छतरपुरा, (16) ढाबली, (17) बेदर, (18) करणपुरा, (19) श्यामपुरा, (20) बिनायक-बे, (21) कुण्डी खोयरा, (22) हरिपुरा पुस्तदण्ड, (23) दण्ड, (24) भवानीपुरा, (25) कड़ीखेड़ा, (26) बाडिया, (27) विजयपुर, (28) पाटडी, (29) भैरूगढ़, (30) गोपालपुरा, (31) रघुनाथपुरा, (32) चैनपुरिया, (33) धूलपुरा, (34) चमारी, (35) पपडेल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय गुप्ता, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्र. डी-15-18-2016-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय गुप्ता, उपसचिव.

Bhopal, the 21<sup>st</sup> April 2016

No. D-15-18-2016-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare that in the relation to the market yard *vide* this department notification even number, dated 21<sup>st</sup> April 2016 the following area of Nasrullaganj of district Rajgarh shall be sub market yard namely :—

AREA

- (1) An area within the limit of Gram Panchayat Bhumariya in Tehsil Khilchipur of District Rajgarh.
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the sub market yard namely :—
  - (1) Bhumariya, (2) Haripura, (3) Nayapura, (4) Bamaniya Khedi, (5) Rampuriya, (6) Kolukheda, (7) Gokulpura, (8) Kherkhedi, (9) Laxmanpura, (10) Gordhanpura, (11) Gordhan, (12) Narayan ganj, (13) Amarpura, (14) Mahuakheda, (15) Chhatarpura, (16) Dhabali, (17) Bedar, (18) Karanpura, (19) Shayampura, (20) Binayak-Be, (21) Kundi Khoyra, (22) Haripura Pustdand, (23) Dand, (24) Bhawanipur, (25) Kadikheda, (26) Baadiya, (27) Vijaypura, (28) Patdi, (29) Bherugarh, (30) Gopalpura, (31) Raghunath pura, (32) Chainpuriya, (33) Dhulpura, (34) Chamari, (35) Papedel.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
AJAY GUPTA, Dy. Secy.